संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्यप्रदेश
पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर-3, भोपाल- 462016
क्रं./सामा0सहा0-02ब/ 2025/ I/399182/2025 29-07-2025

प्रति,

समस्त संयुक्त / उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश।

विषय :- दिनांक **24/07/2025** को पेंशन योजनाओं की ऑनलाईन समीक्षा का कार्यवाही विवरण ।

--0--

दिनांक **24/07/2025** को प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, म.प्र. की अध्यक्षता में पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में गूगलमीट के माध्यम से ऑनलाईन समीक्षा की गई, प्रमुख सचिव महोदया द्वारा समीक्षा बैठक में निम्नानुसार निर्देश दिये गये:-

1. वर्ष **2023** से पेंशन हितग्राहियों का आधार ई-केवायसी समग्र पोर्टल पर किये जाने की कार्यवाही की जा रही है, जिला नीमच, नर्मदापुरम एवं जिला राजगढ द्वारा उत्कृष्ठ कार्य किया गया है, उक्त जिले बधाई के पात्र है, किंतु अभी भी कुछ जिले यथा भोपाल, मंदसौर, मउगंज, ग्वालियर, रीवा एवं सीधी में **90**% से कम पेंशन हितग्राहियों का आधार ई-केवायसी रह गया है। अत: उक्त उल्लेखित जिले **15** अगस्त **2025** तक शत-प्रतिशत आधार ई-केवायसी सुनिश्चित करें।
2. पेंशन पोर्टल पर लंबित आवेदनों एवं पेंशन स्वीकृति उपरांत DSC हेतु लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई। पेंशन पोर्टल पर बहुत अधिक संख्या में आवेदन निराकरण हेतु लंबित है, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि अधिकारियों द्वारा लंबित आवेदनों की समीक्षा नियमित रूप से नहीं की जा रही है। नगर पालिक निगम भोपाल में सर्वाधिक संख्या में प्रकरण DSC हेतु लंबित है । यह अत्यंत खेदजनक है । संबंधित सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, नगर निगम भोपाल द्वारा कार्य में रूचि नहीं ली जा रही है। चूकिं स्थानीय निकाय द्वारा समस्त परीक्षण करने के उपरांत ही प्रकरणों को स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है । अत: पेंशन स्वीकृति के उपरांत किन्हीं भी परिस्थितियों में पेंशन प्रकरण DSC हेतु लंबित नहीं होना चाहिये । समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी एवं स्थानीय निकाय के पदाभिहित अधिकारी समस्त लंबित आवेदनों का निराकरण एवं DSC हेतु लंबित प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में किया जाना सुनिश्चित करें।
3. विभागीय योजनाएं अत्यंत संवेदनशील हैं व समाज के सबसे कमजोर एवं जरूरतमंद वर्ग के लिये संचालित होती है। मान. मुख्यमंत्री जी के समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम में प्राय: विभाग की योजनाओं के प्रकरणों को चयनित किया जाता हैं । प्रकरणों में जिला/स्थानीय स्तर पर समय-सीमा में कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण अप्रिय स्थिति निर्मित होती है।
4. उल्लेखनीय है कि विभागीय योजनाएं लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित भी है । समस्त योजनाओं में स्वीकृति के अधिकार निकाय स्तर पर पदाभिहित अधिकारी को दिये गये है,जिसमें आवेदनों का निराकरण करने की समय-सीमा निर्धारित है। समय-सीमा में कार्यवाही नहीं करने संबंधित पदाभिहित अधिकारी के विरूध्द लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जावे।
5. लंबित आवेदनों की समीक्षा के दौरान जनपद पंचायत पहाडगढ, जिला मुरैना के सामाजिक सुरक्षा

अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पहाडगढ, जिला मुरैना जांच एवं परीक्षण के नाम पर आवेदनों को अधिक समय तक लंबित रख रहे हैं, जबकि आवेदनों का निराकरण निश्चित समय-सीमा में किया जाना है। प्रमुख सचिव महोदया द्वारा योजना प्रभारी अधिकारी को उक्त संबंध में जिला कलेक्टर मुरैना को पत्र लिखने हेतु निर्देशित किया गया।

6. मुख्यमंत्री हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। समस्त जिलों को निर्देशित किया गया कि बिना निराकरण/परीक्षण के कोई भी शिकायत लेवल-**4** पर नहीं आये व विभाग की 50 एवं **100** दिवस से लंबित शिकायतों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करें। माह जून **2025** की जिलेवार ग्रेडिंग में केवल जिला भोपाल को 'डी' एवं झाबुआ व ग्वालियर जिले को 'बी' ग्रेड प्राप्त हुआ है। अन्य समस्त जिलों को ''ए'' ग्रेड प्राप्त हुआ है। निम्न ग्रेडिंग वाले जिलों को ग्रेडिंग में सुधार लाने हेतु निर्देशित किया गया।
7. भारत सरकार द्वारा विकसित यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड जारी किये जाते है। यूडीआईडी कार्ड वर्तमान में समस्त योजनाओं में अनिवार्य है। अत: समस्त जिला अधिकारी यूडीआईडी पोर्टल पर नियमित लॉगईन कर समीक्षा करें व लंबित आवेदनों के निराकरण हेतु सिविल सर्जन कार्यालय से निरंतर समन्वय कर अवगत करावें।
8. ''मिशन वात्सल्य'' अंतर्गत अधिक से अधिक दिव्यांग बच्चों को योजना का लाभ प्राप्त हो सके, इस हेतु भरसक प्रयास किये जाये व की गई कार्यवाही एवं जिन बच्चों को लाभ दिलाया जा चुका है उनकी जानकारी संचालनालय को उपलब्ध कराई जाये, जिससे जेजेसी समिति को तदनुसार अवगत कराया जा सके।
9. सहायक संचालक, ग्वालियर, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण समीक्षा बैठक में उपस्थित नहीं हुये, प्रमुख सचिव महोदया द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये।

<u>आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

BHARAT SINGH GOUR
ASSISTANT DIRECTOR
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, म0प्र0

पृ.क्र./सामा0सहा0-02ब/2025/I/399182/2025 29-07-2025 प्रतिलिपी:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण।
2. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.।
4. सहायक संचालक, स्थापना अनुभाग, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय, सहायक संचालक, ग्वालियर को नोटिस जारी करने हेतु प्रेषित।
5. समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ASSISTANT DIRECTOR
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.

Digitally signed by
Bharat Singh Gour
Date: 29-07-2025
14:29:57